मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 1/05/2018

फा. क्रमांक 17(ई)43/2009/21-बी(क)/2037/2018 ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई)43–2009–2251–इक्कीस–बी(क)/13, दिनांक 10 मई, 2013 को मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग–1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:–

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यप्रदेश स्तर की अधिसूचना के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"9.	श्री पंकज यादव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल

NOTIFICATION

F.No. 17(E)43/2009/21-B(1)/2037/2018.- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No.4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(1)/13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 24th May, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table for serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
[illegible]	Shri Pankaj Yadav II[illegible] Civil Judge Class-I, Betul	Betul	Betul	Betul	Betul

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(आर0 के0 वाणी)
प्रभारी प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र. 17(ई)43/20[illegible]/21-ब(एक)/2[illegible]37/2018, [illegible] दिनांक [illegible] 05/2018

प्रतिलिपि:-

रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के [illegible] पत्र क्रमांक D/3050, दिनांक 23.04.2018 के संदर्भ में.

उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र – भाग एक) में प्रकाशन किये जाने हेतु प्रेषित।

(1) केवल मुद्रणालय हेतु।

शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल को और अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित

(आर0 के0 वाणी)
प्रभारी प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

1703

11 MAY 2018

11 MAY 2018
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR
C.S.D.(D/S) SO (Checker) Sarpuraze 14518